

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

रे.बो. स्था. सं. 147/2010
नई दिल्ली, दि. 07.10.2010

सं.ई(पी.एंड ए.)।।-2010/पी.एल.बी.-4

महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
(डाक सूची। और।। के अनुसार)।

विषय : वित्त वर्ष 2009-10 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता
संबद्ध बोनस का भुगतान।

राष्ट्रपति जी सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को, (रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के, वित्त वर्ष 2009-2010 हेतु 77 (सत्तर) दिनों की मजूरी के बराबर उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति देते हैं। जहाँ मजूरी ₹ 3500/- प्रतिमाह से अधिक है, वहाँ उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी ₹ 3500/- प्रतिमाह ही है।

2. उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना के प्रयोजन के लिए 'मजूरी' में वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान लिए गए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में यथा परिभाषित 'मूल वेतन' तथा 'मंहगाई भत्ता' शामिल होगा। इस मंत्रालय के समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरण में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने का तरीका आदि, अपरिवर्तनीय रहेंगी।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पैरा 1 में पात्र कर्मचारियों के मामले में जो निलंबित नहीं हुए थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2009-2010 के बीच में सेवा नहीं छोड़ी थी/ सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/ मृत्यु नहीं हुई थी या ऐसी छुट्टी पर थे जब अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, को वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में ₹ 8860/- की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।

4. इसके अतिरिक्त भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम-1/संस्करण 1985 (पुनर्मुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथोल्लिखित रा.रे.भ.नि. नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित प्रावधानों में छूट देते हुए, रा.रे.भ.नि. के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र है, यदि चाहें तो अपने राज्य रेल भविष्य निधि लेखे में, योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।

5. यह भी सलाह दी जाती है कि उन कर्मचारियों के मामले में जो अपना वेतन बैंक खातों से प्राप्त करते हैं यदि ऐसे कर्मचारी उत्पादकता संबद्ध बोनस को नकद प्राप्त करने का विकल्प नहीं देते हैं तो देय राशि को उनके खातों में जमा कर दिया जाए।

6. उर्पयुक्त पैरा 1 में दर्शाये गये सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/स्था. (वे. एवं भ.) 111,
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी.एंड ए.) 11-2010/पी.एल.बी.-4

नई दिल्ली, दि. 07.10.2010

प्रतिलिपि : भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं.224, नई दिल्ली-110001 (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

उसु श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.ई(पी.एंड ए.) 11-2010/पी.एल.बी.-4

नई दिल्ली, दि. 07.10.2010

प्रतिलिपि : 1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।

2. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/स्था. (वे. एवं भ.) 111,
रेलवे बोर्ड.

1. महासचिव, ए.आई.आर.एफ. (35 प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एन.एफ.आई.आर. (35 प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
5. महासचिव, इरपोफ (5 प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, आल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
7. सचिव, इंडियन रेलवे क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
8. सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप ए आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप बी आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी संघ (5 प्रतियों सहित)।
12. महासचिव, आल इंडिया एस.सी./एस.टी. रेलवे स्टाफ एसोसिएशन, कमरा नं.8, रेल भवन (5 प्रतियों सहित)।
13. महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 490-ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव (5 प्रतियों सहित)।

उसु श्रीराम
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड